न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्याः– 12 / 35 / 2020

अपीलार्थीः–
मनोज कुमार खण्डेलवाल, 36 विकास पथ
अलवर, जिला–अलवर।

प्रत्यर्थीः–
लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन जिला रसद
अधिकारी, अलवर

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

दिनांकः– 22.09.2020

—:: निर्णय ::—

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा–6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिनांक 16.03.2020 के माध्यम से आवेदन पत्र में वर्णित बिन्दूवार सूचना चाही गई थी, जो उन्हें उपलब्ध नहीं कराई गई। अतः वॉछित सूचनाएं दिलवाई जावे।
2. अपीलार्थी द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वॉछित सूचना नहीं दिए जाने के संवंध में लोक सूचना अधिकारी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 04.08.2020 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी उपस्थित नहीं आया। लोक सूचना अधिकारी से जवाब प्राप्त नहीं हुआ।
5. पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलार्थी के आवेदन पत्र दिनांक 16.03.20 को लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी, अलवर को प्रस्तुत किया गया। अपील प्रस्तुत होने के पश्चात् कार्यालय के नोटिस पत्रांक 497 दिनांक 24.07.20 के द्वारा जवाब पेश करने हेतु लिखा गया था–किन्तु लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपील का कोई जवाब नहीं भिजवाया जिससे स्पष्ट है कि उनके द्वारा अपीलार्थी को वांछित बिन्दूओं उपलब्ध नही कराई गयी है। साथ ही प्रकरण में अपील दायर होने के वाद भी प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई, जो सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 में व्याप्त निर्देशों की अवेहलना की श्रेणी में आता है। लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है किया कि प्राप्त होने वाले प्रार्थना पत्रों का निस्तारण नियत समय अवधि में किया जावें, साथ ही पूर्व में प्रेषित पत्र के अनुसार अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करावें। अपील अपीलांट स्वीकार होने योग्य है।
6. प्रायः यह देखने में आया है कि जिला रसद अधिकारी के विरूद्व पेश होने वाली अपीलों में नोटिस जारी करने के पश्चात् उनके यहॉ से ना ही कोई प्रतिनिधि उपस्थित होता है और ना ही नोटिस का जवाब प्राप्त होता है, नोटिस का जवाब प्राप्त न होने की स्थिति में प्रायः अपीलें स्वीकार करनी पडती है। न्यायालय द्वारा पूर्व में भी कई अपीलों के निर्णय में जिला रसद अधिकारी अलवर को उक्त बावत प्रभावी कार्यवाही करने हेतु आदेशित किये जाने के उपरान्त भी पालना सुनिश्चित नही की जा रही है। जो दिये गये निर्देशों की अवलेहना के श्रेणी में आता है। इस संबंध में उचित कार्यवाही करने हेतु पारित निर्णय की प्रति प्रभारी अधिकारी स्थापना प्रकोष्ठ कलैक्ट्रेट अलवर को भिजवाई जाकर निर्देश दिये जाते है कि जिला रसद अधिकारी अलवर से इस संबंध में स्पस्टीकरण प्राप्त किया जावें।
7. निर्णय आज **दिनांक 22.09.2020** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
8. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम सुनिश्चित करें।
9. निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावें।

(आनन्दी)
जिला कलेक्टर,अलवर

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)